



**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**  
**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 07 वांछित अभियुक्त व NBW में 17 वारण्टी गिरफ्तार।**

**दिनांक- 30.09.2024**

**दिनांक- 29/30.09.2024 को-**

- 01-थाना आशियाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 347/24 धारा 305/331(4)/317(2) BNS व मु0अ0सं0 350/2024 धारा 305/331(4) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त शावेज खान
- 02- थाना इटौंजा में पंजीकृत मु0अ0सं0 155/24 धारा 238/103(1)/70(1) BNS से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 01- मोनू रावत 02-करन पुत्र राजकुमार 03-करन पुत्र रामकिशोर
- 03- थाना मदेयगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2024 धारा 69/89/351(2) BNS व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अरशद
- 04-थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01-दीपक वर्मा 02- रामचन्द्र गिरफ्तार।

**एवं**

**NBW में थाना काकोरी से 09, चिनहट से 01, नगराम से 01, निगोहां से 03, तालकटोरा से 02, वजीरगंज से 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**जोन-दक्षिणी**

**थाना गोसाईगंज-**

दिनांक 29.09.2024 को थाना स्थानीय पुलिस को जरिये डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि शिवप्रसाद उर्फ भदौरिया नाम के एक व्यक्ति द्वारा सरईया गांव के पास तेंदुआ निकलने सूचना दी गयी है। इस सूचना पर तत्काल थाना बीकेटी पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ उक्त भीड़ शिवप्रसाद उर्फ भदौरिया पुत्र शम्भू निवासी ग्राम गंगाखेड़ा मजरा मुहुराकला थाना गोसाईगंज, लखनऊ द्वारा तेंदुआ निकलने की सूचना पर एकत्र हुई है। आस-पास लोगों/ग्रामीणजनों से घटना की सत्यता के बारे में पूछताछ व जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि गांव में सियार दिखाई दिया है। झूठी अफवाह/खबर फैलाने व ग्रामीणों को गुमराह करने एवं पुलिस को गलत सूचना देने के लिए शिवप्रसाद उर्फ भदौरिया उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएस में गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**जोन-पूर्वी**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार-थाना बीबीडी-**

दिनांक 29.09.2024 को एस0आई0 श्री तिलक सिंह गंगवार थाना बीबीडी द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-फूचलन्द पुत्र रामअवध उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बाजूपुरवा थाना बीबीडी लखनऊ 02. जितेन्द्र पुत्र अच्छेलाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बाजूपुरवा थाना बीबीडी लखनऊ को नूरपुर बेहटा चौराहे के पास, थाना बीबीडी से 02 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 160/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## जोन दक्षिणी

### सड़क दुर्घटना-थाना मोहनलालगंज -

दिनांक 29.09.2024 को समय करीब 07.45 बजे शाम को थाना स्थानीय पर डीएलएफ गार्डन सिटी के सामने गोपालखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में एक व्यक्ति के किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति रूपचन्द्र यादव उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी-टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को इलाज के लिए पीजीआई ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन मौके पर मौजूद हैं। परिजनों द्वारा जानकारी हुयी कि मृतक डीएलएफ गार्डन सिटी, में मजदूरी (पीओपी) को कार्य करता था। परिजनों की मौजूदगी में थाना पीजीआई पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## जोन पूर्वी

### थाना पीजीआई-

दिनांक 30.09.2024 को आगन्तुका मंगाला पत्नी प्रकाश रावत निवासी-कल्ली पश्चिम, थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 29.09.2024 को सायं करीब 04.00 बजे से उनका पुत्र अजय रावत उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र प्रकाश रावत कहीं चला गया था। आज सुबह में गांव के कुछ लोगों से जानकारी हुयी कि उसके पुत्र ने गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ से फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।